मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 4, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(डॉ. सुनीलम्, श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री नारायण त्रिपाठी एवं श्रीमती सरोज बच्चन नायक सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-8 पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्ष के सदस्यगण उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में गर्भगृह मे आ गए तथा कुछ समय पश्चात् सदन से बहिर्गमन कर गए)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 83 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 91 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधान सभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत रिक्त पद न भरे जाने,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने, श्योपुर जिले में सूखा राहत कार्य के बदले अनाज योजना के तह्त स्वीकृत पर्याप्त खाद्यान्न व सम्पूर्ण मजदूरी का भुगतान न किये जाने,

(3) डॉ. आई. एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्रांतर्गत खटखरी से पुतलखी मार्ग की हालत दयनीय होने,

(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने सिवनी जिले में संचालित स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित दलिया निर्माण इकाई में खुले आम कमीशन लिये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने प्रदेश के कृषकों से विद्युत मीटर की रीडिंग न लेकर औसत बिल दिये जाने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर विधान सभा क्षेत्र में सर्पदंश एवं प्राकृतिक दुर्घटनाओं से हुए अनेक मौतों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता राशि न मिलने, तथा

(7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने भोपाल मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. वक्तव्य

पेंच परिवर्तन परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति के संबंध में श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस परअपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने गुना जिले के अनेक ग्रामों की वन भूमि पर काबिज आदिवासियों की फसलें नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य एवं श्रीमती जमुना देवी,नेताप्रतिपक्ष के नेतृत्व मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा "गुना जिले के अनेक ग्रामों की वन भूमि पर काबिज आदिवासियों की फसलें नष्ट किये जाने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज स्थित शासकीय भवन की जमीन पर अतिक्रमण किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया,नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के-

- (क) ग्राम छायन में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने
- (ख) ग्राम ढाबला से काला कुण्डल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (ग) नगर पंचायत खुजनेर की जल आवर्धन योजना प्रारंभ कराये जाने,
- (घ) ग्राम खाजली में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ङ) ग्राम भोजपुर से चीबड़कलां-रूगनाथपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (च) ग्राम पुरा खाजला जोड़ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (छ) ग्राम संवासड़ा में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ज) गोकुल ग्राम बगा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (झ) ग्राम कालीपीठ से मनोहर थाना (राजस्थान) तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (ञ) ग्राम दाताग्राम से मनोहर थाना (राजस्थान) तक सड़क बनाये जाने,
- (ट) ग्राम पिपलोदी से मनोहर थाना (राजस्थान) तक सड़क बनाये जाने,
- (ठ) ग्राम सिन्दुरिया से आगरा-बाम्बे रोड़ तक सड़क बनाये जाने, तथा
- (ड) किला अमरगढ़ से खाजला जोड़ तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

- (क) ग्राम रिठौराकला में उप-मण्डी बनाये जाने,
- (ख) ग्राम नौगांव में नाले पर पुलिया बनाये जाने,तथा
- (ग) ग्राम सिलगिला से नौगांव तक सड़क बनाये जाने,

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के -

- (क) हनुमना नगर के पास नैया नाला पर बांध व नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराये जाने,
- (ख) गोरमा उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य प्रारंभ कराये जाने,
- (ग) बेलहा बांध सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने, तथा
- (घ) मऊगंज नगर में आई.टी.आई. की कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के-

- (क) लहार नगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का नवीन भवन बनाये जाने,
- (ख) ग्राम सिद्धपुरा में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा
- (ग) लहार नगर में तहसील कार्यालय का नवीन भवन बनाये जाने,

(5) श्री राजेश पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम उमरावगंज से खोखरिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,एवं

(6) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के ग्राम पुरानी छावनी तथा करहिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

संबंधी याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई।

6. वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लालसिंह आर्य **(भाषण अपूर्ण)**

(1.00 बजे से 2.34 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री लालसिंह आर्य, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(5) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर सहाब)
(6) श्री घनश्याम सिंह
(7) श्री दुर्गालाल विजय
(8) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(9) श्री शंकर लाल तिवारी

(चर्चा अपूर्ण)

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 5, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.